[2022] 17 एस. सी. आर. 567

बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड

वी.

वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड।

(सिविल अपील सं। 8972-8973 2014)

10 नवंबर, 2022

[संजय किशन कौल, अभय एस. ओका और

विक्रम नाथ, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश VII आर. 10-बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (आर. डी. बी.)-एस. 19 - अपीलार्थी बैंक ने प्रत्यर्थी कंपनी को एक सावधि ऋण स्वीकृत किया, हालांकि, प्रत्यर्थी भुगतान करने में विफल रहा-अपीलार्थी ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) के समक्ष राशि की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया-प्रत्यर्थी ने कार्यवाही का बचाव करने के लिए उपस्थिति दर्ज की, लेकिन इसके अलावा एक याचिका भी दायर की।

उच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमा जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया गया था कि न्यायालय के पास समान अधिकार क्षेत्र नहीं है

विशेष रूप से डी. आर. टी. के पास निहित-हालाँकि, अपील पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मुकदमे को बहाल कर दिया और कहा कि आर. डी. बी. में दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है-सर्वोच्च न्यायालय की कई पीठों के बीच मतभेद था और इसे बड़ी पीठ को संदर्भित करना उचित माना गया था-निम्नलिखित प्रश्न भेजे गए थेः (क) क्या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दायर एक स्वतंत्र मुकदमा,

किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही के संबंध में आर. डी. बी. अधिनियम की योजना के आधार पर संस्था को बाहर कर दिया गया है? - आयोजित किया गयाः सूट को स्थानांतरित करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है डी. आर. टी.-केवल एक शिकायत यू/या वापस की जा सकती है। VII, आर. 10-सी. पी. सी. की S.151 का उपयोग हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए अवशिष्ट शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है-किसी भी विधायी शक्ति की अनुपस्थिति सिविल कोर्ट को निहित रूप से शक्ति नहीं दे सकती है-इसके अलावा, इस तरह की शक्ति को पढ़ने के लिए उचित नहीं है

एक सूट को डी. आर. टी. यू/एस. में स्थानांतरित करें। 151 सी. पी. सी. का, जब डी. आर. टी. एक प्राणी 567 [2022] 17 एस. सी. आर. है।

किसी कानून और कानून में ऐसी संभावना का प्रावधान नहीं है-(बी) एक बार जब यह निष्कर्ष निकल जाता है कि दीवानी अदालत के पास कोई शक्ति नहीं है, तो मुकदमे के हस्तांतरण का कोई सवाल ही नहीं है, चाहे वह सहमति से हो या अन्यथा-(सी) आर. डी. बी. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा बैंक द्वारा दावे में प्रतिवादी द्वारा दीवानी मुकदमे का उपचार खारिज कर दिया जाता है, लेकिन यह उस प्रतिवादी की पसंद का मामला है-ऐसा प्रतिवादी

फाइल का प्रतिवाद करें, या संहिता के तहत स्थापित प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

आयोजित किया गयाः 1.1 प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह निष्कर्ष निकला कि आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 17 केवल बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दायर आवेदनों के संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। यह प्रावधान उधारकर्ता द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करता था। अधिनियम में धारा 31 को छोड़कर मुकदमों और कार्यवाहियों के हस्तांतरण के प्रावधानों का भी अभाव था, जो ऋण की वसूली के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लंबित वाद कार्यवाहियों से संबंधित है। [पैरा 39] [594-जी]

1.2 यह देखा गया कि आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 17 और 18 का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसकी स्थापना के बाद भी

डी. आर. टी., इसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों के खिलाफ उधारकर्ता या अन्य लोगों द्वारा शुरू किए गए स्वतंत्र मुकदमों या कार्यवाही का परीक्षण करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया था। जिसे अनुमति दी गई है वह एक एकीकृत कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए लंबित आवेदन में प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावे के रूप में केवल एक क्रॉस-एक्शन है। [पैरा

40] [594 - एच; 595-ए-बी]

1.3 आर. डी. बी. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा बैंक द्वारा दावे में प्रतिवादी द्वारा दीवानी मुकदमे के उपचार को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन यह उस प्रतिवादी की पसंद का मामला है। ऐसा प्रतिवादी प्रतिवाद दायर कर सकता है, या संहिता के तहत स्थापित अधिक कठिन प्रक्रिया का लाभ उठाने का इच्छुक हो सकता है,

और यह एक ऐसा विकल्प है जिसे वह इसके परिणामों के साथ लेता है। [पैरा 45] [596-जी; 597-ए]

1.4 वहाँ लाभ है कि कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है

डी. आर. टी. को एक सूट हस्तांतरित करें। शिकायत केवल सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 10 के प्रावधानों के तहत कारणों से वापस की जा सकती है।

उसमें निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे कारणों के अभाव में, संहिता की धारा 151 का उपयोग बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड को प्राप्त करने के लिए अवशिष्ट शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है।

वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड।

हस्तांतरण, जो वास्तव में शिकायत की वापसी का एक परिणाम है जब संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत आधार नहीं हैं संतुष्ट। किसी भी विधायी शक्ति का अभाव एक नहीं दे सकता है

सिविल न्यायालय को निहित करके शक्ति। संहिता की धारा 151 के तहत किसी मुकदमे को डी. आर. टी. को हस्तांतरित करने के लिए इस तरह की शक्ति को पढ़ना उचित नहीं होगा, जब डी. आर. टी. एक क़ानून का निर्माण है और वह कानून ऐसी संभावना के लिए प्रावधान नहीं करता है। [पैरा 49] [597-एफ एच; 598-ए]

1.5 दीवानी न्यायालय में स्थानांतरण की कोई शक्ति नहीं है, इसकी सहमति या अनुपस्थिति कुछ ऐसी नहीं है जो दीवानी न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करे। प्रतिवादी, जिसने मुकदमा दायर किया है, के सामने विकल्प स्पष्ट है-या तो वह डी. आर. टी. के समक्ष प्रतिवाद दायर कर सकता है या वह अलग दीवानी कार्यवाही शुरू कर सकता है।

[पैरा 51] [598-सी-डी]

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बनाम। अभिजीत टी कंपनी प्रा.

लिमिटेड और अन्य (2000) 7 एससीसी 357 [2000] 3

पूरक। एस. सी. आर. 153; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। रंजन केमिकल्स लिमिटेड और अन्य (2007) 1 एस. सी. सी. 97: [2006]

7 पूरक। एस. सी. आर. 145-सही कानून नहीं माना गया।

इंडियन बैंक बनाम एबीएस मरीन प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड

(2006) 5 एससीसी 72: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 52; नाहर औद्योगिक उद्यम लिमिटेड बनाम। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग निगम (2009) 8 एस. सी. सी. 646: [2009]

12 एससीआर 54-आंशिक रूप से पुष्टि की गई।

ट्रांसकोर वी. भारत संघ (2008) 1 एससीसी 125: [2006] 9 पूरक। एस. सी. आर. 785; स्वरक प्रसाद अग्रवाल बनाम। रमेश चंदर अग्रवाल (2003) 6 एस. सी. सी. 220; नागरी प्रचारिनी सभा बनाम। पाँचवाँ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश

(1991) 2 उदाहरण के लिए एस. सी. सी. 36; रमेश चंद अरवैत्य बनाम। अनिल पंजवानी (2003) 7 एससीसी 350 [2003] 3 एससीआर 1149;

भारत संघ और एक अन्य v. दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 275: [2002] 2 एस. सी. आर. 450; धूलाभाई बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [1968] 3 एससीआर 3,660; द्वारका प्रसाद अग्रवाल (डी) एलआर और एएनआर द्वारा। वी. रमेश चंदर अग्रवाल और अन्य। (2003) 6 एससीसी 220: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 376-संदर्भित।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2003] 3 पूरक। एससीआर 153

सही कानून नहीं माना गया

पैरा 15

[2006] 7 पूरक। एससीआर 145

सही कानून नहीं माना गया

पैरा 15

[2006] 9 पूरक। एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[1968] 3 एससीआर 660

पैरा 43

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 एससीआर 1149

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2002] 2 एससीआर 450

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1968] 3 एससीआर 660

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[2003] 1 पूरक। एससीआर 376

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

आंशिक रूप से पुष्टि की गई

[2009] 12 एससीआर 54

पैरा 60

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8972

8973 2014 से।

उच्च न्यायालय के 19.04.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2002 के ए. पी. ओ. सं. 488 और 489 में कलकत्ता में।

वी. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आनंद शंकर झा, अर्पित गुप्ता, गिरीश

भारद्वाज, श्रीरंग वर्मा, सुश्री मीनाक्षी देवगन, अभिलेख तिवारी, अर्जुन गर्ग, ओ. पी. गग्गर, सचिंद्र करण, अक्षत गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा,

श्रीमती प्रतिष्ठा विज, अक्षय सी. श्रीवास्तव, एस. के. भट्टाचार्य के लिए नीरज बॉबी पाओनम, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. वर्तमान संदर्भ एक प्रश्न चिह्न से उत्पन्न होता है

बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ दीवानी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए उधारकर्ता का कानूनी अधिकार, जो इसके खिलाफ ऋण राशि की वसूली करना चाहता है।

वास्तविक इतिहासः

2. अपीलार्थी बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड (विलय के बाद से)

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ), ने प्रत्यर्थी कंपनी को 28.06.1994 पर रुपये की सीमा के साथ एक सावधि ऋण स्वीकृत किया। प्रति वर्ष 19.25% के ब्याज पर 1.5 करोड़ रुपये, बारह तिमाही किश्तों में चुकाने योग्य। ऋण प्राप्त करने के लिए, प्रत्यर्थी सहित गारंटरों ने अन्य बातों के साथ-साथ बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड शीर्षक की पेशकश की।

वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्तियों के कार्य। पारस्परिक समझौते द्वारा, 5 करोड़ रुपये की सीमा तक 19.09.1995 पर एक और क्रेडिट ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की गई थी। यह अतिरिक्त ऋण विभिन्न कंपनियों के शेयरों, शेयरों और प्रतिभूतियों की जमा राशि द्वारा सुरक्षित किया गया था। प्रतिवादी ने इसका पालन नहीं किया वित्तीय अनुशासन, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता 01.07.1997 पर एक नोटिस जारी करता है, जिसमें प्रत्यर्थी को ऋण खाते और ओवरड्राफ्ट अवधि का निपटान करने के लिए कहा जाता है

सूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सुविधा खाता।

3. चूंकि प्रत्यर्थी भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए अपीलार्थी ने भुगतान की वसूली के लिए 1997 का ओ. ए. No.263 होने के नाते एक आवेदन दायर किया।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोलकाता (इसके बाद 'डी. आर. टी.' के रूप में संदर्भित) के समक्ष बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (इसके बाद 'आर. डी. बी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 19 के तहत देय राशियां। अपीलार्थी ने वसूली की मांग की

प्रति वर्ष 20.88% की दर से ब्याज सहित रुपये 8,62,41,973.36 के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ प्रमाण पत्र।

4. प्रतिवादी ने कार्यवाही का बचाव करने के लिए उपस्थिति दर्ज की, लेकिन इसके अलावा कोलकाता के समक्ष 1998 का एक दीवानी मुकदमा No.77 भी दायर किया।

06.03.1998 पर अपीलार्थी के खिलाफ उच्च न्यायालय। प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री, बिक्री की वसूली के लिए एक आदेश का दावा किया

आय, और प्रत्यर्थी को हुए नुकसान की जांच के साथ-साथ उसके बाद धन के भुगतान के लिए एक डिक्री।

5. आई. डी. 1 पर एक महत्वपूर्ण विकास हुआ जब अपीलकर्ता ने बी. एफ. एल. सॉफ्टवेयर लिमिटेड के गिरवी रखे गए शेयरों को ऋण लेनदेन के एक हिस्से के रूप में उनके पास उपलब्ध प्राधिकरण को देखते हुए बकाया राशि के खिलाफ राशि को समायोजित करने के लिए कुल रु. आई. डी. 2,000/- में बेच दिया। द. प्रतिवादी ने, एक अनुक्रमिक के रूप में, दीवानी मुकदमा सं. 129 1999 का कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 09.03.1999 पर प्रार्थना करते हुए, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए

राहत की चीज़ें:

" i) बी. एफ. एल. सॉफ्टवेयर लिमिटेड के शेयरों की बिक्री की घोषणा।

शून्य था:

ii) ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते के संबंध में गिरवी रखे गए शेयरों की वापसी के लिए एक डिक्री, और डिफ़ॉल्ट रूप से रु। 48.95 करोड़; और

(ग) एक घोषणा कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांकित ऋण अवधि के संबंध में अपीलार्थी को कोई राशि देय नहीं थी और

ओवरड्राफ्ट खाता दिनांक 19.09.1995 और यह कि अपीलकर्ता बैंक रुपये की राशि के लिए डिक्री का हकदार नहीं था। 8,62,41, 973.36 से

प्रतिवादी। "[2022] 17 एस. सी. आर.

6. अपीलार्थी ने उन कार्यवाहियों में आवेदन दायर किए, जो 1998 के सी. एस. No.77 में 2000 का जी. ए. No.4206 और 2000 में जी. ए. No.4171 थे। नवंबर 2000 में 1999 का सी. एस. No.129, शिकायत की अस्वीकृति की मांग करते हुए

और प्रत्यर्थी द्वारा दायर किए गए मुकदमों को खारिज करना। यह दावा किया गया था कि मुकदमे विचारणीय नहीं थे और उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव था क्योंकि यह विशेष रूप से डी. आर. टी. के पास निहित था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 06.09.2022 आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के दोनों आवेदनों की अनुमति दी

और मुकदमों को उच्च न्यायालय की फाइल से हटाने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी ने दो अपीलें दायर कीं, 2002 का ए. पी. ओ. टी. No.691 (बाद में 2002 का ए. पी. ओ. No.488) और 2002 का ए. पी. ओ. टी. No.692 (बाद में 2002 का ए. पी. ओ. No.489), जिन्होंने विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित 06.09.2022 के आदेश को चुनौती दी। डिवीजन बेंच ने अपने दिनांकित 27.09.2022 के आदेश के माध्यम से अपील को स्वीकार करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

7. जहां तक डी. आर. टी. की कार्यवाही का संबंध है, डी. आर. टी. द्वारा 1997 के ओ. ए. No.263 का निपटान दिनांक 19.05.2003 के आदेश के माध्यम से किया गया था।

इस तर्क पर भविष्यवाणी की गई कि अपीलकर्ता बैंक का रु. 6,04,17,777.36 का दावा गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री के माध्यम से संतुष्ट किया गया था। इसने पाया कि कार्यवाही के तहत वास्तव में देय राशि का निपटान और भुगतान किया गया था। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को गिरवी रखे गए शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के स्वामित्व विलेखों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाबी दावे पर, डी. आर. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी आदेश के चार सप्ताह के भीतर अपीलार्थी से 6,88 रुपये की वसूली करने का हकदार था। प्रत्यर्थी को गिरवी रखे गए शेयरों पर लाभांश की वसूली के लिए उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी, सिवाय इसके कि

Rs.20,11,337.35 जिसके लिए कार्यवाही में अनुमति दी गई थी।

8. अपीलार्थी, व्यथित महसूस करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता (इसके बाद) के समक्ष अपील दायर करने के लिए आगे बढ़ा। 2003 के एम. ए. No.31 के साथ 'डी. आर. ए. टी.' के रूप में संदर्भित), जिसे 14.11.2003 दिनांकित एक आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी को 1996 में शेयर बेचे जाने चाहिए थे और इस प्रकार वह ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं था। अपीलार्थी ने अभी भी संतुष्ट नहीं होते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत 2003 के सी. ओ. <आई. डी. 4 को कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष 17.11.2003 पर दायर किया, जिसे हालांकि, उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.02.2004 के आदेश के माध्यम से डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांकित 16.01.2013 के आदेश के माध्यम से बहाल कर दिया गया था। हमें सूचित किया जाता है कि ये कार्यवाही भी

स्टैंड को 26.08.2019 पर खारिज कर दिया जाता है और इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक के दावे की सीमा। प्रतिवादी, डिक्री के संदर्भ में, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड।

वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

9. अब, प्रत्यर्थी द्वारा शुरू किए गए मुकदमे पर वापस आते हैं, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया था कि न्यायालय अधिकारिता का अभाव था; खंड पीठ ने दो मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी, और यह दो अपीलों में निर्णय है जो इस न्यायालय के समक्ष दायर किए गए मुकदमों को जारी रखने की अनुमति देता है।

मुकदमों को बहाल करने में खंड पीठ का तर्कः

12. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राय दी कि नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुसार। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, 1 बैंक के खिलाफ एक उधारकर्ता द्वारा दायर एक मुकदमे को सिविल कोर्ट के समक्ष प्रतिबंधित नहीं किया गया था, हालांकि बैंक द्वारा उधारकर्ता के खिलाफ दायर एक मुकदमे को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह निर्णय पाया गया कि

1 (2009) 8 एससीसी 646।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मुद्दे पर प्राधिकरण होना चाहिए क्योंकि यह इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य फैसलों के बाद आया था।

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाहीः

13. वर्तमान कार्यवाही में संदर्भ विचारों के एक स्पष्ट संघर्ष को ध्यान में रखते हुए 17.09.2014 दिनांकित एक आदेश से उत्पन्न हुआ। यह देखा गया

कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता बनाम में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। अभिजीत टी कंपनी प्रा. लिमिटेड और अन्य 2 ने यह विचार रखा था कि आर. डी. बी. अधिनियम की विधायी योजना के अनुसार, आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 के तहत एक प्रतिदावे का प्रयास करने और उसे रद्द करने के लिए डी. आर. टी. को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था और ऐसे सभी प्रतिदावे और प्रतिदावे, जिसमें स्वतंत्र रूप से दायर एक प्रतिदावे भी शामिल है, डी. आर. टी. द्वारा चलाए जाने चाहिए।

14. इंडियन बैंक बनाम में बाद के निर्णय में। ए. बी. एस. मरीन प्रोडक्ट्स (पी) Ltd.³ इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उनके द्वारा दायर किसी भी मुकदमे के संबंध में वर्जित नहीं था।

किसी भी राहत के लिए बैंक के खिलाफ उधारकर्ता। क्षेत्राधिकार केवल किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा अपने ऋणों की वसूली के लिए आवेदनों के संबंध में वर्जित था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (6) और (11) के तहत एक प्रतिदावा और रद्द किया जा सकता है, लेकिन डी. आर. टी. को स्वतंत्र मुकदमों का परीक्षण करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया था या

उधारकर्ताओं द्वारा शुरू की गई कार्यवाही। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि उधारकर्ता के पास दीवानी न्यायालय के समक्ष एक अलग मुकदमा दायर करने का विकल्प था और डी. आर. टी. के समक्ष जवाबी दावा ही एकमात्र उपाय नहीं था। इसका उल्लेख करते हुए अभिजीत टी कंपनी प्रा. लि. में पूर्व निर्णय। लिमिटेड एंड अदर्स (ऊपर), इंडियन बैंक (ऊपर) की पीठ ने कहा कि एक स्वतंत्र मुकदमे को एक प्रतिवाद माना जा सकता है और इसे डी. आर. टी. को तभी हस्तांतरित किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होंः

" ए। बैंक के मुकदमे की विषय वस्तु और बैंक के खिलाफ प्रतिवादी के मुकदमे को इस अर्थ में अटूट रूप से जोड़ा जाना चाहिए कि एक में निर्णय में निर्णय को प्रभावित करेगा अन्य।

बी। दोनों पक्षों (बैंक और बैंक के खिलाफ मुकदमे में वादी) को स्वतंत्र मुकदमे को न्यायाधिकरण के समक्ष बैंक के आवेदन में जवाबी दावे के रूप में माने जाने के लिए सहमत होना चाहिए, ताकि दोनों को न्यायाधिकरण द्वारा सुना और निपटाया जा सके।

2 (2000) 7 एससीसी 357। 3 (2006) 5 एससीसी 72।

बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

16. इस प्रकार, संदर्भ आदेश में, यह उल्लेख किया गया था कि रंजन केमिकल्स लिमिटेड मामले (उपरोक्त) के बाद, एक अन्य खंड पीठ ने नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड मामले (ऊपर) में कहा गया कि रंजन केमिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय इंडियन बैंक मामले (ऊपर) में निर्णय से अलग नहीं हो सकता था, दोनों समन्वित पीठ थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस मुद्दे पर इस न्यायालय की कई पीठों के बीच मतभेद थे और इस पर विचार किया गया

निम्नलिखित प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना उचित है।

" (ए)। चाहे किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दायर एक स्वतंत्र मुकदमा, जिसने वसूली के लिए आवेदन किया हो आर. डी. बी. अधिनियम के तहत वादी के खिलाफ उसके ऋण को डी. आर. टी. द्वारा आर. डी. बी. अधिनियम के तहत आवेदन के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।

(बी)। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो क्या इस तरह के हस्तांतरण का आदेश दिया जा सकता है?

केवल वादी की सहमति से अदालत द्वारा?
(सी)। क्या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की वसूली की कार्यवाही के संबंध में आर. डी. बी. अधिनियम की योजना के आधार पर निष्कासित किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करना किसी दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है?

17. इस प्रकार हम उल्लिखित प्रश्नों पर अपनी राय रखते हैं।

हमें।

अपीलार्थी की याचिकाः

प्रश्न संख्या 1

18. इंडियन बैंक मामले (ऊपर), रंजन केमिकल्स लिमिटेड मामले (ऊपर) और नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज में भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिमिटेड मामले (उपरोक्त) में पहले मामले के संबंध में कोई मतभेद नहीं है।

4 (2007) 1 एससीसी 97।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रश्न को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि एक उधारकर्ता द्वारा एक स्वतंत्र मुकदमे को मूल के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है। आर. डी. बी. अधिनियम के तहत बैंक द्वारा आवेदन। मतभेद केवल पक्षों की सहमति के संबंध में उत्पन्न हुए। ये हैं फैसले

बैंक द्वारा दायर मूल आवेदन में डी. आर. टी. द्वारा प्रतिदावे/बंद के रूप में निर्णय लिए जाने वाले बैंक के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दायर स्वतंत्र मुकदमे के हस्तांतरण के संबंध में कानून में कोई रोक नहीं लगाई गई है।

19. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि कार्यों के गैर-समेकन से कार्यों की बहुलता और उनके बीच परस्पर विरोधी निर्णय हो सकते हैं।

कार्रवाई के एक ही कारण पर पक्षकारों और इस प्रकार, पहले प्रश्न के सकारात्मक उत्तर की मांग की।

प्रश्न सं। 2

20. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील गिरि ने यह स्वीकार करते हुए कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत मुकदमों का समेकन सतही रूप से प्रदान नहीं किया गया है, इस न्यायालय ने कई अवसरों पर तर्क दिया है कि संहिता में प्रदान किए गए मुकदमों के समेकन को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में, न्यायालय समेकन को निर्देशित करने वाली संहिता की धारा 151 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 3.

21. इस प्रस्ताव का एकमात्र कारण यह है कि धारा 151

संहिता का उपयोग स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

कोड से। इस कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क दिया गया कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए पक्षों की सहमति की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार, नाहर औद्योगिक उद्यम मामले (उपरोक्त) में इंडियन बैंक के मामले में उधारकर्ताओं द्वारा मुकदमों के प्रत्यक्ष समेकन के लिए पूर्व शर्त के रूप में ऐसी सहमति देना संहिता की धारा 151 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के अनुमेय प्रयोग के विपरीत है। अतः प्रश्न संख्या। 2 नकारात्मक में जवाब देने का अनुरोध किया गया था।

प्रश्न सं। 3

22. आर. डी. बी. अधिनियम के प्रावधानों में उधारकर्ता द्वारा दायर किए गए प्रतिदावे/प्रतिदावे का परीक्षण करने के लिए एक पूरी योजना का प्रावधान है।

बैंक द्वारा क्रॉस-सूट के रूप में दायर किए गए ओ. ए. को विवरण। यह कहा गया है कि

5 महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड v. आशाभाई आत्माराम पटेल, (2013) 4 एस. सी. सी. 404 (पारस 45-46); चिटिवासाला जूट मिल्स बनाम। जेपी रीवा सीमेंट (2004) 3 एस. सी.

सी. 85 (पैरा 12) और के. के. वेलुसामी बनाम। एन. पलानीसामी, (2011) 11 एस. सी. सी. 275, (पैरा 12)।

बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 (7) और धारा 19 (9) के सरल अध्ययन से काफी स्पष्ट हो सकता है। आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 17,18 और 19 की समग्र योजना को संहिता की धारा 9 के प्रयोजनों के लिए एक बाधा बनाने के लिए तर्क दिया गया था।

23. व्यापक प्रावधान अर्थात धारा 19 (5), (6), (8), (10-ए), (10-बी), (13) और (20) काउंटर-क्लेम/सेट-ऑफ, सत्यापन दाखिल करने के संबंध में। सिविल न्यायालय के समक्ष अभिवचनों के समान तरीके से प्रतिदावे/बंद करने का, शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य और प्रतिदावे के संबंध में प्रावधान

नियमों में परीक्षण; प्रदर्शित करें कि डी. आर. टी. में ऋणकर्ता द्वारा उठाए गए दावों का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त शक्तियां निहित की गई हैं जो बैंक के दावे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। इन प्रावधानों के खिलाफ सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया जाता है समान विषयों के संबंध में कार्यवाही की बहुलता, एक बार डी. आर. टी. के समक्ष और दूसरा दीवानी न्यायालय के समक्ष। इस प्रकार, प्रश्न सं। 3 सकारात्मक जवाब देने की मांग की गई थी।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँः

24. यह श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्कित है।

प्रत्यर्थी के लिए, कि आर. डी. बी. अधिनियम को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था

उनके देय ऋणों की शीघ्रता से वसूली करना और इसने सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया। कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि डी. आर. टी. के समक्ष उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाताओं के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमों का प्रवाह होता। यह भी बताया गया कि आर. डी. बी. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो वादी का मुकदमा विफल होने पर भी प्रतिदावे पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दे।

25. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि

प्रति ट्रांसकोर वी। भारत संघ डी. आर. टी. कानून का एक रूप है और इसकी कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, जो दीवानी न्यायालयों में मौजूद है। स्वरका प्रसाद अग्रवाल बनाम। रमेश चंदर अग्रवाल 'ने यह अभिनिर्धारित किया कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने की मांग करने वाले प्रावधान के लिए सख्त व्याख्या की आवश्यकता होगी और न्यायालय आमतौर पर सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने की ओर झुकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने नागरी प्रचारिनी सभा बनाम पर भी भरोसा करने की मांग की। पाँचवाँ अतिरिक्त जिला और

सत्र न्यायाधीश और रमेश चंद अरवैत्य बनाम। अनिल पंजवानी 'ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि एक नागरिक प्रकृति की शिकायत रखने वाले वादी के पास है

7 (2003) 6 एससीसी 220 8 (1991) पूरक 2 एस. सी. सी. 36

9 9 (2003) 7 एससीसी 350 [2022] 17 एस. सी. आर.

दीवानी मुकदमा दायर करने का स्वतंत्र अधिकार; और यह कि दीवानी न्यायालय किसी दीवानी मुकदमे पर विचार कर सकता है, भले ही किसी विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र से सम्मानित एक विशेष न्यायाधिकरण मौजूद हो।

26. इस प्रकार, यह आग्रह किया गया कि इंडियन बैंक मामले (ऊपर) और नाहर औद्योगिक उद्यम मामले (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय

इस विषय पर कानून की सही घोषणा की थी।

आर. डी. बी. अधिनियम की योजना

27. बैंक और वित्तीय संस्थान उद्यमियों को उनके व्यवसाय में सहायता करने के लिए सार्वजनिक धन उधार देते हैं। इस प्रकार एक ओर ब्याज है।

जनता, जिनके धन का उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरी ओर वे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिन्हें अपने व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता होती है। एक अर्थ में बैंक और वित्तीय संस्थान इस प्रक्रिया में मध्यस्थ हैं।

28. दीवानी कार्यवाही में भारी देरी के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी रंगीन हो गई, जिसके परिणामस्वरूप

चूककर्ता प्रीमियम पर थे। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने वाले उधारकर्ता नुकसान में थे। उधार लेने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा था और सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि मुकदमेबाजी में फंसी हुई थी।

29. बकाया की वसूली में तेजी लाने के लिए, आर. डी. बी. अधिनियम को संसद द्वारा 27.08.1993 पर अधिनियमित किया गया था और इसे 1 से लागू किया गया था।

24.06.1993 . आर. डी. बी. अधिनियम ने बैंकों को देय ऋणों के शीघ्र निर्णय और वसूली के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया और

वित्तीय संस्थान और उनसे जुड़े सभी मामलों के लिए। आर. डी. बी. अधिनियम उक्त उद्देश्य की दिशा में कार्यप्रणाली प्रदान करने के संदर्भ में चरित्र में व्यापक है।

30. इस संबंध में, आर. डी. बी. अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर ध्यान देना उचित होगाः

" वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋणों की वसूली और प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन पर आरोप लगाया। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली के लिए मौजूदा प्रक्रिया ने उनके धन के एक बड़े हिस्से को अनुत्पादक परिसंपत्तियों में अवरुद्ध कर दिया है, जिसका मूल्य समय के साथ बिगड़ता जाता है। श्री एम. नरसिम्हम की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली पर समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए ऐसे मामलों के निर्णय और त्वरित वसूली के लिए विशेष शक्तियों के साथ विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना को महत्वपूर्ण माना है।

एन बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

इसलिए, एक उपयुक्त तंत्र तैयार करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई

कानून में परिवर्तन सहित उपचारात्मक उपाय। तिवारी समिति ने एक सारांश का पालन करते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया की वसूली के लिए विशेष न्यायाधिकरणों के गठन का भी सुझाव दिया था प्रक्रिया। विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना न केवल लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करेगी, बल्कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगी।

नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन। जबकि

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दायर पंद्रह लाख से अधिक मामले और वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर लगभग 304 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया 5622 करोड़ रुपये से अधिक और वित्तीय संस्थानों के लगभग 391 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली शामिल थी। मुकदमेबाजी में सार्वजनिक धन की इतनी बड़ी राशि को बंद करना उचित रोकता है। विकास के लिए निधियों का उपयोग और पुनर्चक्रण

देश "।

31. यह ध्यान देने योग्य है कि आर. डी. बी. अधिनियम को चुनौती दी गई थी क्योंकि इसमें मूल रूप से प्रतिवादी को अनुमति देने वाले कोई प्रावधान नहीं थे।

किसी बैंक द्वारा उनके खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिदावे या प्रतिदावे का दावा करने के लिए दायर आवेदन। इस मुद्दे पर भारत संघ और एक अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और अन्य में विचार किया गया। जब तक निर्णय दिया गया, तब तक आर. डी. बी. अधिनियम को 2000 के अधिनियम 1 द्वारा ऐसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था, और परिणामस्वरूप उन्हें बरकरार रखा गया था।

सांविधिक ढांचा

32. आर. डी. बी. अधिनियम के अध्याय III का शीर्षक 'क्षेत्राधिकार, शक्तियां और न्यायाधिकरणों का प्राधिकरण' है।

33. आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 17 के अधिकार क्षेत्र का वर्णन करता है

डी. आर. टी. इस प्रकार हैः

“ 17. न्यायाधिकरणों की अधिकारिता, शक्तियाँ और अधिकार। - (1) एक न्यायाधिकरण नियत दिन पर और उससे, विचार करने और निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करेगा।

वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवेदन

ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण।

10 (2002) 4 एससीसी 275।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 क) उप-धारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, -

(क) न्यायाधिकरण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली तारीख को और उससे अधिकारिता, शक्तियों का प्रयोग करेगा।

और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के भाग III के तहत आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार। (ख) न्यायाधिकरण की सभी जिलों में सर्किट बैठकें होंगी।

मुख्यालय।]

) अपीलीय न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति द्वारा किए गए या किए गए किसी आदेश के खिलाफ अपीलों को स्वीकार करने के लिए नियुक्त किए जाने पर और उससे अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करेगा।

इस अधिनियम के तहत इबनाल।

[(2 क) उप-धारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त किए जाने की तारीख को और उससे प्रयोग करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और

दिवाला के भाग III के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपीलों पर विचार करने का अधिकार और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31)।] "

. धारा 17 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'ऋण' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

2 (छ) आर. डी. बी. अधिनियमः

" 2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

पूछते हैं,

[(छ) "ऋण" से कोई भी दायित्व (ब्याज सहित) अभिप्रेत है जिसका किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा किसी व्यक्ति से देय होने का दावा किया जाता है।

संस्था या बैंकों या वित्तीय संस्थानों के एक संघ द्वारा किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के दौरान

बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी भी समय लागू किसी भी कानून के तहत संघ, चाहे वह नकद में हो या अन्यथा, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित, या सौंपा गया हो, या क्या किसी दीवानी अदालत के डिक्री या आदेश के तहत देय हो या कोई मध्यस्थता पुरस्कार या अन्यथा या किसी बंधक के तहत और आवेदन की तारीख को अस्तित्व में है, और कानूनी रूप से वसूली योग्य है।

वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक रॉकिंग सर्विसेज लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे।]35. धारा 18 आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 17 के तहत दर्ज किए गए मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय के लिए एक अवरोध पैदा करती है। यह निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" 18. अधिकारिता का बार। नियत दिन से, नहीं

न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के पास होगा या वह इसका प्रयोग करने का हकदार होगा।

अधिकारिता, शक्तियाँ या प्राधिकरण (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर, और

अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय

संविधान) धारा 17 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध मेंः [बशर्ते कि किसी भी बहु-राज्य सहकारी बैंक के कारण ऋण की वसूली के संबंध में कोई भी कार्यवाही तारीख से पहले लंबित हो

प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की शुरुआत और ऋण विधियों की वसूली (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का 1)

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत जारी रखा जाएगा और इस धारा में निहित कुछ भी, इस तरह के प्रारंभ के बाद, ऐसी कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा।] " 36. धारा 19 डी. आर. टी. के समक्ष प्रक्रिया से संबंधित है

पुनर्प्राप्ति के लिए आवेदनों की संख्या। यह निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" [19. न्यायाधिकरण में आवेदन। — (1) जहाँ एक बैंक या एक वित्तीय संस्थान को किसी भी व्यक्ति से किसी भी ऋण की वसूली करनी होती है, यह

की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकते हैं जिसका अधिकार क्षेत्र

[(क) बैंक या वित्तीय संस्थान की शाखा या कोई अन्य कार्यालय एक ऐसा खाता रख रहा है जिसमें दावा किया गया ऋण कुछ समय के लिए बकाया है; या

[((क)] प्रतिवादी, या प्रत्येक प्रतिवादी जहाँ एक से अधिक हैं, आवेदन करते समय, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, या व्यवसाय करता है, या व्यक्तिगत रूप से

लाभ के लिए काम करता है; या

(ख) कोई भी प्रतिवादी, जहां एक से अधिक हैं, आवेदन करते समय, वास्तव में और स्वेच्छा से

निवास करता है, या व्यवसाय करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है; या (ग) कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता हैः

[बशर्ते कि बैंक या वित्तीय संस्थान,

एक आवेदन पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण की अनुमति

उसके द्वारा किया गया आवेदन वापस ले लें, चाहे वह पहले किया गया हो या प्रतिभूति ब्याज और ऋणों की वसूली के प्रवर्तन के बाद [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत कार्रवाई करना, यदि उस अधिनियम के तहत पहले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थीः बशर्ते कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण से अनुमति लेने के लिए पहले परंतुक के तहत किया गया कोई भी आवेदन

उप-धारा (1) के तहत किए गए आवेदन को वापस लेने के लिए उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटा जाएगा और ऐसे आवेदन की तारीख से तीस दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगाः

बशर्ते कि यदि ऋण वसूली न्यायाधिकरण इस उप-धारा के तहत दायर आवेदन को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो वह इसके लिए कारण दर्ज करने के बाद ऐसे आदेश पारित करेगा।] [(1 क) प्रत्येक बैंक, धारा 2 के खंड (घ) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट बहु-राज्य सहकारी बैंक होने के नाते, अपने विकल्प पर बहु-राज्य सहकारी बैंक के तहत कार्यवाही शुरू करने का विकल्प चुन सकता है।

इस अध्याय के तहत आवेदन करने के बजाय किसी भी व्यक्ति से प्रतिभूति ब्याज और ऋण विधियों की वसूली (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का 1) के प्रवर्तन की तारीख से पहले या बाद में देय ऋणों की वसूली के लिए संचालन समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)। (1 बी) यदि कोई बैंक धारा 2 के खंड (डी) के उपखंड (vi) में निर्दिष्ट बहु-राज्य सहकारी बैंक है, तो उसने दायर किया है।

इस अध्याय के तहत एक आवेदन और बाद में चुनता है कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से आवेदन वापस लें

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत ऋणों की वसूली के लिए, वह न्यायाधिकरण की अनुमति से ऐसा कर सकता है और उप-धारा (1 ए) के तहत किए गए आवेदन को वापस लेने के लिए न्यायाधिकरण से अनुमति मांगने वाले ऐसे प्रत्येक आवेदन पर उसके द्वारा यथासंभव तेजी से कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा।

इस तरह के आवेदन की तारीख से तीस दिनों के भीतरः

बशर्ते कि यदि न्यायाधिकरण इस उप-धारा के तहत दायर आवेदन को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो यह

ऐसे आदेश उसके कारणों को दर्ज करने के बाद पारित करेंगे।]

(2) जहां किसी बैंक या वित्तीय संस्थान ने, जिसे किसी व्यक्ति से अपने ऋण की वसूली करनी है, राजस्थान लिमिटेड के ए. एन. के. को आवेदन दायर किया है।

वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक रॉकिंग सर्विसेज लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे।]

उप-धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण और उसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान ने भी अपने ऋण की वसूली का दावा किया है।

फिर, बाद का बैंक या वित्तीय संस्थान आवेदक के साथ जुड़ सकता है। अंतिम आदेश पारित होने से पहले कार्यवाही के किसी भी चरण में बैंक या वित्तीय संस्थान उस न्यायाधिकरण को आवेदन करके।

[(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा, और उसके साथ सत्य होगा।

दावे के समर्थन में ऐसे शुल्क के साथ सभी दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर भरोसा किया गया था, जो निर्धारित किया जा सकता है:]

बशर्ते कि शुल्क को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है

बशर्ते कि शुल्क से संबंधित इस उप-धारा में निहित कुछ भी न्यायाधिकरण को हस्तांतरित मामलों पर लागू नहीं होगा। धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत।

[स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेज़

इसमें बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 (1891 का 18) के तहत विधिवत प्रमाणित खाते का विवरण या बैंकर की पुस्तक में कोई प्रविष्टि शामिल है।

[(3ए) उप के तहत दायर आवेदन में प्रत्येक आवेदक

ऋण की वसूली के लिए धारा (1) या उप-धारा (2), (क) प्रतिवादियों में से किसी की संपत्ति या संपत्ति पर प्रतिभूति ब्याज द्वारा सुरक्षित ऋण का विवरण दें और

ऐसी प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य;

(ख) यदि प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य दावा किए गए ऋण को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो किसी भी अन्य संपत्ति का विवरण दें। या किसी भी प्रतिवादी के स्वामित्व वाली संपत्ति, यदि कोई हो; और

(ग) यदि ऐसी अन्य परिसंपत्तियों का अनुमानित मूल्य ऋण की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो प्रतिवादी को खुलासा करने का निर्देश देने वाले आदेश की मांग करें।

न्यायाधिकरण को प्रतिवादियों के स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों या संपत्तियों का विवरण।] [(3ख)] यदि किसी ऋण की वसूली के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किसी भी आवेदन का उस न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई शुरू होने से पहले या अंतिम आदेश पारित होने से पहले कार्यवाही के किसी भी चरण में निपटारा किया जाता है, तो आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई फीस को ऐसी दरों पर वापस किया जा सकता है जो निर्धारित की जाएं।] [2022] 17 एस. सी. आर.

[(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण निम्नलिखित के साथ समन जारी करेगाः

प्रतिवादी को निर्देश -

((i) समन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि अनुरोधित राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

आवेदक द्वारा उप-धारा (3ए) के खंड (ए) और (बी) के तहत; और
((ग) प्रतिवादी को उप-धारा (3क) के खंड (ग) के तहत प्रकट की गई ऐसी संपत्तियों और संपत्तियों के साथ व्यवहार करने या उनका निपटान करने से रोकना, जब तक कि संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान न हो।]

[(4ए) धारा 65 ए में कुछ भी निहित होने के बावजूद

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) के अनुसार, प्रतिवादी, समन की सेवा पर, न्यायाधिकरण की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करेगा, जिस पर प्रतिभूति ब्याज बनाया गया है और उप-धारा (3ए) के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य संपत्तियांः

बशर्ते कि न्यायाधिकरण ऐसी मंजूरी नहीं देगा

आवेदक बैंक या वित्तीय संस्थान को नोटिस दिए बिना कारण दिखाने के लिए कि अनुरोध की गई मंजूरी क्यों नहीं दी जानी चाहिएः

बशर्ते कि प्रतिवादी में सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के लिए उत्तरदायी होगा

व्यवसाय का सामान्य क्रम और ऐसी बिक्री आय को ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करें।]

[(5) (i) प्रतिवादी समन की सेवा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर एक लिखित बयान प्रस्तुत करेगा।

उप-धारा (6) के अधीन प्रत्यर्पण के दावे या उप-धारा (8) के अधीन प्रतिदावे, यदि कोई हो, सहित उसके बचाव के लिए और ऐसे लिखित कथन के साथ मूल दस्तावेज या सत्य भी होंगे। न्यायाधिकरण की अनुमति के साथ उसकी प्रतियां, जिन पर प्रतिवादी ने अपने बचाव में भरोसा कियाः

एंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक रॉकिंग सर्विसेज लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे।]

बशर्ते कि जहां प्रतिवादी तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है, पीठासीन

अधिकारी, असाधारण मामलों में और लिखित रूप में दर्ज की जाने वाली विशेष परिस्थितियों में, अपने बचाव का लिखित बयान दाखिल करने के लिए उक्त अवधि को पंद्रह दिनों से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।

((ii) जहां प्रतिवादी न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसार किसी संपत्ति या संपत्ति का खुलासा करता है, वहां प्रावधान इस धारा की उप-धारा (4 ए) की धारा ऐसी संपत्ति पर लागू होगी या

((iii) उप-धारा (4) के खंड (ii) के तहत किए गए किसी भी आदेश का पालन न करने की स्थिति में, पीठासीन अधिकारी एक आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि जो व्यक्ति या अधिकारी चूक करता है, उसे तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए सिविल जेल में रखा जाए, जब तक कि इस बीच पीठासीन अधिकारी उसकी रिहाई का निर्देश न दे: बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी इस खंड के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा

ऐसा व्यक्ति या अधिकारी।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'अधिकारी जो चूक में है' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा ऐसा अधिकारी जैसा कि में परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 का खंड (60)।

[(5 क) प्रतिवादी का लिखित बयान प्राप्त होने पर या न्यायाधिकरण द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के लिए दिए गए समय की समाप्ति पर।

और उप-धारा (4) के तहत पारित अंतरिम आदेश को जारी रखने या हटाने के लिए भी। (5 बी) जहां कोई प्रतिवादी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान को देय ऋण की राशि का पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करता है,

न्यायाधिकरण ऐसे प्रतिवादी को आदेश देगा कि वह ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर राशि का भुगतान करे, जिसमें विफल रहने पर न्यायाधिकरण उप-धारा (22) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी द्वारा स्वीकार की गई देय ऋण राशि की सीमा तक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।]

(6) जहां प्रतिवादी आवेदक की मांग के खिलाफ कानूनी रूप से [2022] 17 एस. सी. आर. की किसी भी निश्चित राशि का भुगतान करने का दावा करता है।

ऐसे आवेदक से उसके द्वारा वसूली योग्य, प्रतिवादी आवेदन की पहली सुनवाई में, लेकिन उसके बाद नहीं, जब तक कि न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, एक लिखित बयान प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऋण का विवरण हो जिसमें मूल दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के साथ ऋण चुकाने की मांग की गई थी, जो आवेदक के खिलाफ किसी भी निर्धारित राशि के संबंध में ऋण चुकाने के दावे के समर्थन में थे।

(7) लिखित कथन का वही प्रभाव होगा जो एक प्रति-वाद में एक वादी का होता है ताकि न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय पारित कर सके।

मूल दावा और रद्द दोनों के संबंध में आदेश।

(8) एक आवेदन में एक प्रतिवादी, उप-धारा (6) के तहत एक सेट-ऑफ का अनुरोध करने के अपने अधिकार के अलावा, आवेदक के दावे के खिलाफ जवाबी दावे के माध्यम से, आवेदन दायर करने से पहले या बाद में लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले आवेदक के खिलाफ प्रतिवादी को उपार्जित कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा स्थापित कर सकता है, चाहे ऐसा जवाबी दावा नुकसान के दावे की प्रकृति का हो या नहीं।

(9) उप-धारा (8) के तहत एक प्रति-दावे का प्रभाव एक प्रति-वाद के समान होगा ताकि न्यायाधिकरण एक मूल दावे और प्रति-दावे दोनों पर एक ही आवेदन पर अंतिम आदेश।

(10) आवेदक को ऐसी अवधि के भीतर प्रतिवादी के जवाबी दावे के जवाब में एक लिखित बयान दायर करने की स्वतंत्रता होगी। 3 [जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है]।

[(10क) उप-धारा (3) के तहत प्रत्येक आवेदन या लिखित

उप-धारा (5) के तहत प्रतिवादी का बयान या बंद करने का दावा

उप-धारा (6) के तहत या उप-धारा (8) के तहत प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावा, या उप-धारा (10) के तहत जवाबी दावे के जवाब में आवेदक द्वारा लिखित बयान या कोई भी अन्य अभिवचन, आवेदक या प्रतिवादी द्वारा सभी तथ्यों और अभिवचनों, अभिवचन दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का सत्यापन करने वाले शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा।

आवेदन के साथ संलग्न या लिखित बयान या सेट-ऑफ या काउंटर-क्लेम का जवाब, जैसा भी मामला हो सकता हैः

बशर्ते कि यदि किसी पक्ष के नेतृत्व में गवाहों का कोई साक्ष्य है, तो ऐसे गवाहों के शपथ पत्र राजस्थान लिमिटेड के ए. एन. के. द्वारा दायर किए जाएंगे।

वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक रॉकिंग सर्विसेज लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे।]

उप-धारा (10 ए) के तहत दायर आवेदन या लिखित बयान या जवाब के साथ-साथ पक्ष द्वारा।

(10 ख) यदि आवेदन में कोई तथ्य या अभिवचन है या

लिखित कथन उप-धारा (10 ए) के तहत प्रदान किए गए तरीके से सत्यापित नहीं किए जाते हैं, कार्यवाही के एक पक्ष को साक्ष्य के रूप में ऐसे तथ्यों या अभिवचनों या उसमें निर्धारित किसी भी मामले पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।]

[(11) जहाँ एक प्रतिवादी एक काउंटर स्थापित करता है-में दावा

लिखित कथन और ऐसे दावे के जवाब में आवेदक का तर्क है कि इस प्रकार उठाए गए दावे का किसी भी तरह से निपटारा नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिदावे का लेकिन एक स्वतंत्र कार्रवाई में, न्यायाधिकरण ऋण की वसूली के लिए आवेदक के दावे के साथ ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेगा।]

*

*

*

*

*

(13) (ए) जहां, कार्यवाही के किसी भी चरण में, 3 [न्यायाधिकरण के विवरण के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर

कुर्क की जाने वाली संपत्ति और उसका अनुमानित मूल्य, या अन्यथा

], कि प्रतिवादी, ऋण की वसूली के लिए किसी भी आदेश के निष्पादन में बाधा डालने या देरी करने या उसे विफल करने के इरादे से, जो उसके खिलाफ पारित किया जा सकता है,

((i) अपनी पूरी या किसी भी हिस्से की संपत्ति का निपटान करने वाला है;

या

अपनी संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से को हटाने वाला है

((ख)

न्यायाधिकरण की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से; या

(iii)

संपत्ति को कोई नुकसान या शरारत होने की संभावना है या दुरुपयोग या तीसरे पक्ष के हित पैदा करके इसके मूल्य को प्रभावित करना,

न्यायाधिकरण प्रतिवादी को, उसके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर, या तो प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है, ऐसी राशि में जो इसमें निर्दिष्ट की जाए।

आदेश, जब आवश्यक हो, उक्त संपत्ति या उसी का मूल्य, या उसके ऐसे हिस्से को न्यायाधिकरण के निपटान में पेश करने और रखने के लिए जो प्रमाण पत्र को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकता है

ऋण की वसूली, या पेश होना और कारण दिखाना कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए।

(बी) जहां प्रतिवादी कारण दिखाने में विफल रहता है कि उसे क्यों करना चाहिए

[2022] 17 एस. सी. आर. के भीतर सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, या आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है।

न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित समय, न्यायाधिकरण द्वारा दावा की गई संपत्तियों के पूरे या ऐसे हिस्से को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। आवेदक के रूप में उसके पक्ष में सुरक्षित या अन्यथा प्रतिवादी के स्वामित्व वाली संपत्तियां जो ऋण की वसूली के लिए किसी भी प्रमाण पत्र को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती हैं।

*

*

*

(15) न्यायाधिकरण आदेश में 5 [उप-धारा (13)] के तहत निर्दिष्ट संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से की सशर्त कुर्की का निर्देश भी दे सकता है।

(16) यदि उप-धारा (13) के प्रावधानों का पालन किए बिना कुर्की का आदेश दिया जाता है, तो ऐसी कुर्की अमान्य होगी।

संलग्न किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए सिविल जेल में हिरासत में रखने का आदेश भी दे सकता है, जब तक कि इस बीच न्यायाधिकरण उसकी रिहाई का निर्देश न दे। (18) जहां न्यायाधिकरण को यह न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत होता है, वहां न्यायाधिकरण आदेश द्वारा ऐसा कर सकता है

(क) किसी भी संपत्ति का प्राप्तकर्ता नियुक्त करें, चाहे वह पहले हो।

या ऋण की वसूली के लिए प्रमाण पत्र देने के बाद;

(ख) किसी भी व्यक्ति को कब्जे या अभिरक्षा से हटा दें।

संपत्ति;

(ग) उसी को कब्जे, अभिरक्षा या अभिरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करें

प्राप्तकर्ता का प्रबंधन;

(घ) प्राप्तकर्ता को ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान करता है, जैसे -

अदालतों में मुकदमे लाना और उनका बचाव करना या दायर करना और उनका बचाव करना न्यायाधिकरण के समक्ष और प्राप्ति के लिए आवेदन,

का प्रबंधन, संरक्षण, संरक्षण और सुधार

संपत्ति, किराए और उसके लाभों का संग्रह,

ऐसे किराए और लाभों का आवेदन और निपटान, और दस्तावेजों का निष्पादन जैसा कि मालिक ने स्वयं किया है, या जैसे कि

वे शक्तियाँ जो न्यायाधिकरण उचित समझता है; और राजस्थान लिमिटेड का आंक।

(ई) एक तैयारी के लिए एक आयुक्त नियुक्त करें

प्रतिवादी की संपत्तियों या बिक्री के लिए सूची

वहाँ से।

[(19) जहां कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत परिभाषित किसी कंपनी के खिलाफ वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और ऐसी कंपनी परिसमापन के अधीन है, तो न्यायाधिकरण एक आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसी कंपनी की सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री आय को उसी तरीके से वितरित किया जाए जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किया गया है।]

[(20) न्यायाधिकरण, आवेदक और प्रतिवादी को सभी दावों के संबंध में सुनवाई का अवसर देने के बाद,

सेट-ऑफ या काउंटर-क्लेम, यदि कोई हो, और ऐसे दावों पर ब्याज, सुनवाई के समापन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करें जैसा कि वह उचित समझता है जिसमें उस तारीख से ब्याज के भुगतान का आदेश शामिल हो सकता है जिस दिन राशि का भुगतान प्राप्ति या वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय पाया जाता है।]

पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित रूप में किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा या जहां प्रतिवादी ने आवेदक के दावे का भुगतान किया है या उसे चुकाने के लिए सहमत हुआ है, न्यायाधिकरण ऐसे समझौते, समझौते या दावे की संतुष्टि को दर्ज करते हुए आदेश पारित करेगा।] (20 एए) उप-धारा (20) के तहत अंतिम आदेश पारित करते समय, न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से उधारकर्ता की संपत्तियों को निर्दिष्ट करेगा जो

प्रतिभूति ब्याज किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के पक्ष में बनाया जाता है और वसूली अधिकारियों को उप-धारा (20 एबी) में प्रदान की गई ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री आय को वितरित करने का निर्देश देता है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में वितरित किया जाएगा। अर्थात्:

(i) सुरक्षित परिसंपत्तियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए की गई लागत, मूल्यांकन की लागत, कब्जे और नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना और परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए अन्य खर्चों का पूरा भुगतान किया जाएगा; [2022] 17 एस. सी. आर.

((ii) बैंक या वित्तीय संस्थान को देय ऋण।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31), उन मामलों में जहां उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में दिवालियापन और दिवालियापन की कार्यवाही लंबित है,

सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय उस संहिता में दिए गए प्राथमिकता के क्रम के अधीन होगी।]

[(21) (i) न्यायाधिकरण अपने अंतिम आदेश और वसूली प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदक को भेजेगा और प्रतिवादी।

((ii) आवेदक और प्रतिवादी ऐसे शुल्क के भुगतान पर न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति प्राप्त कर सकते हैं जो निर्धारित किया जाए।] [(22) पीठासीन अधिकारी उप-धारा (20) के तहत अंतिम आदेश के साथ वसूली का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

में निर्दिष्ट ऋण की राशि की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को उसके हस्ताक्षर के तहत ब्याज के साथ ऋण का भुगतान

[(22क) उप-धारा (22) के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी वसूली प्रमाण पत्र समापन की शुरुआत के उद्देश्यों के लिए न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा। कंपनियों के तहत पंजीकृत कंपनी के खिलाफ कार्यवाही

अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी या किसी भी व्यक्ति या साझेदारी फर्म के खिलाफ किसी भी कानून के तहत दिवालिया कार्यवाही, जैसा भी मामला हो।]

(23) जहां न्यायाधिकरण, जिसने वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया है, संतुष्ट है कि संपत्ति स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित है।

दो या दो से अधिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता की सीमाओं में, यह निष्पादन के लिए वसूली प्रमाण पत्र की प्रतियां ऐसे अन्य न्यायाधिकरणों को भेज सकता है जहां संपत्ति स्थित है:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां न्यायाधिकरण को निष्पादन के लिए वसूली का प्रमाण पत्र भेजा जाता है, यह पाता है कि उसके पास कोई नहीं है

वसूली के प्रमाण पत्र का पालन करने के लिए अधिकार क्षेत्र, यह उसे उस न्यायाधिकरण को वापस कर देगा जिसने इसे जारी किया है।

एंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक रॉकिंग सर्विसेज लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे।]

(24) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत न्यायाधिकरण को दिए गए आवेदन पर उसके द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।

संभव है और 1 [इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

दो सुनवाई में कार्यवाही, और] आवेदन का निपटारा करने के लिए

अंत में प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर

आवेदन से।

(25) न्यायाधिकरण ऐसे आदेश दे सकता है और ऐसा दे सकता है -

निर्देश जो इसके प्रभावी होने के लिए आवश्यक या समीचीन हों आदेश या इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या इसके उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए

न्याय।] "

37. धारा 31 में लंबित मामलों के हस्तांतरण का प्रावधान है।

उसी की स्थापना की तारीख को डी. आर. टी. कोः

" 31. लंबित मामलों का हस्तांतरण। - (1) हर सूट या अन्य तारीख से तुरंत पहले किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही

इस अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण की स्थापना, एक मुकदमा या

कार्रवाई के कारण को आगे बढ़ाना, जिस पर यह आधारित है, ऐसा है कि यदि यह ऐसी स्थापना के बाद उत्पन्न हुआ होता, तो इसके भीतर

ऐसे न्यायाधिकरण की अधिकारिता, उस पर हस्तांतरित होगी

ऐसे न्यायाधिकरण की तारीखः

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी किसी पर लागू नहीं होगा

किसी भी न्यायालय के समक्ष उपरोक्त के रूप में लंबित अपीलः [बशर्ते कि किसी भी बहु-राज्य सहकारी बैंक के कारण ऋण की वसूली के संबंध में कोई भी वसूली कार्यवाही

प्रवर्तन शुरू होने की तारीख से पहले लंबित

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत अधिनियम, 2012 (2013 का 1) जारी रहेगा और इसमें कुछ भी शामिल नहीं होगा। इस धारा में ऐसी कार्यवाहियों को लागू होगा।]

(2) जहाँ कोई वाद या अन्य कार्यवाही हस्तांतरित की जाती है।

उप-धारा (1) के अधीन किसी न्यायालय से किसी न्यायाधिकरण को -

(क) न्यायालय, इस तरह के हस्तांतरण के बाद जितनी जल्दी हो सके,

ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही के अभिलेख को अग्रेषित करें

न्यायाधिकरण; और

(ख) न्यायाधिकरण, ऐसे अभिलेखों की प्राप्ति पर, जहां तक हो सके, ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही से निपटने के लिए आगे बढ़ सकता है। उसी तरह जैसे [2022] 17 एस. सी. आर. के तहत किए गए आवेदन के मामले में किया गया था।

धारा 19 उस चरण से जो ऐसे हस्तांतरण से पहले या किसी पूर्व चरण 2 * * * से पहुँचा गया था, जैसा कि न्यायाधिकरण कर सकता है।

उचित कार्य "।

हमारे सामने संदर्भ 38. आर. डी. बी. अधिनियम और संहिता के प्रावधानों की परस्पर क्रिया

इंडियन बैंक के मामले में उपरोक्त निर्णय में चर्चा की गई

ए)। हम उन अनुच्छेदों को निकालना उचित समझते हैं जो संबंधित हैं।

यह पहलूः

" 15. यह ऋण वसूली की धारा 17 और 18 से स्पष्ट है।

अधिनियम कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता केवल इस संबंध में वर्जित है - किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा अपने ऋणों की वसूली के लिए आवेदन। दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र किसी बैंक के खिलाफ उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किसी भी मुकदमे के संबंध में वर्जित नहीं है।

कोई भी राहत। यह विवादित नहीं है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने

द्वारा दायर सी. एस. सं. 7/1995 का मनोरंजन और निपटान करने का अधिकार क्षेत्र

उधारकर्ता जब इसे दायर किया गया था और उसके पास अधिकार क्षेत्र बना हुआ है उक्त सूट का मनोरंजन करें और उसका निपटान करें। अधिनियम में वाद और कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है, सिवाय धारा 31 के जो ऋण की वसूली के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा वाद/कार्यवाही से संबंधित है। धारा 31 से यह स्पष्ट है कि केवल वे

ऋण वसूली अधिनियम न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया। इस मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कलकत्ता की स्थापना कंपनी द्वारा बैंक के खिलाफ सी. एस. संख्या 7/1995 दाखिल करने से बहुत पहले की गई थी। उक्त मुकदमा लंबे समय बाद दायर किया गया है तारीख जब न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था और एक मुकदमा या नहीं होने के नाते

वसूली के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा शुरू की गई कार्यवाही

किसी ऋण का, धारा 31 को आकर्षित नहीं करता था।

16. जहाँ तक धारा 19 की उप-धाराओं (6) से (11) का संबंध है, वे केवल प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं। ऋण वसूली अधिनियम के रूप में

यह मूल रूप से खड़ा था, इसमें कोई प्रावधान नहीं था जो बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा दायर आवेदन में प्रतिवादी को किसी भी तरह का दावा करने में सक्षम बनाता हो।

बैंक/वित्तीय के खिलाफ कोई जवाबी दावा करना या बंद करना

संस्था। अन्य आधारों के अलावा, इस अधिनियम को असंवैधानिक माना गया था (दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ए. एन. के. राजस्थान लिमिटेड देखें।

वी. वी. सी. के. शेयर और स्टॉक

रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

भारत ए. आई. आर. 1995 दिल्ली 323)। अपील के लंबित रहने के दौरान उक्त निर्णय के विरुद्ध, इस न्यायालय के समक्ष, न्यायाधिकरण के समक्ष बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर आवेदनों में प्रतिवादियों द्वारा बचाव और जवाबी दावों का प्रावधान करके कमी को दूर करने के लिए 2000 के अधिनियम 1 द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया था। संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन [2002 (4) एस. सी. सी. 275] में बरकरार रखा गया था। संशोधित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (6) से (11) का प्रभाव यह है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा शुरू किए गए मुकदमे या कार्यवाही में कोई भी प्रतिवादी कर सकता हैः (क) बैंक/वित्तीय संस्थान की मांग के विरुद्ध किया गया दावा, कानूनी रूप से निर्धारित धन राशि।

ऐसे बैंक/वित्तीय संस्थान से उसके द्वारा वसूली योग्य; और (ख) किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के दावे के खिलाफ जवाबी दावे के रूप में स्थापित किया गया।

संस्था, कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा

बैंक/वित्तीय संस्थान के विरुद्ध ऐसे प्रतिवादी को उपार्जित करना,

या तो आवेदन दाखिल करने से पहले या बाद में, लेकिन उससे पहले

प्रतिवादी ने अपना बचाव किया है या बचाव देने का समय समाप्त होने से पहले, क्या ऐसा जवाबी दावा में है

हानि के लिए दावे की प्रकृति या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि

बैंकों/वित्तीय संस्थानों के विरुद्ध, और न ही ऐसे मुकदमों या कार्यवाहियों के संबंध में वर्जित दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विरुद्ध। एकमात्र परिवर्तन जो किया गया है वह प्रतिवादियों को बैंक या वित्तीय द्वारा पहले से दायर आवेदनों में धारा 19 की उप-धारा (6) से (8) में दिए गए दावे या जवाबी दावा करने में सक्षम बनाने के लिए है।

अपने देय राशियों की वसूली के लिए संस्थान। अन्य में

शब्दों में, जो प्रदान किया जाता है और अनुमति दी जाती है वह बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा लंबित आवेदन में प्रतिवादी द्वारा एक प्रति-कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य अपने आवेदन में बैंक/वित्तीय संस्थान का दावा करना है और प्रति-दावा या प्रतिवादी को एक एकीकृत कार्यवाही के रूप में हटाने के लिए दावा करना है। एक सामान्य आदेश से।

17. न्यायाधिकरण के समक्ष बैंक के आवेदन में जवाबी दावा करना एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि उधारकर्ता/प्रतिवादी के लिए एक विकल्प उपलब्ध है। वह एक अलग मुकदमा या कार्यवाही भी दायर कर सकता है।

उसके संबंध में किसी दीवानी अदालत या अन्य उपयुक्त मंच के समक्ष बैंक के खिलाफ दावा करें और उसी का पीछा करें। यहां तक कि बैंक भी, [2022] 17 एस. सी. आर. में।

जिसका आवेदन प्रतिदावा किया जाता है, उसके पास प्रतिवादी के प्रतिदावे को बाहर करने के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन करने का विकल्प होता है ताकि उसके आवेदन पर विचार किया जा सके। जब बैंक द्वारा ऐसा आवेदन किया जाता है, तो न्यायाधिकरण या तो जवाबी दावे को बाहर करने से इनकार कर सकता है और बैंक के आवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकता है और

काउंटर-क्लेम एक साथ; या काउंटर-क्लेम को बाहर करें जैसा कि अनुरोध किया गया है, और केवल बैंक के आवेदन के साथ आगे बढ़ें, जिस स्थिति में काउंटर-क्लेम बैंक/वित्तीय संस्थान के खिलाफ एक स्वतंत्र दावा बन जाता है। इसके बाद प्रतिवादी को इस तरह के बहिष्कृत जवाबी दावे के संबंध में दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा क्योंकि न्यायाधिकरण के पास बैंक/वित्तीय संस्थान के खिलाफ किसी भी स्वतंत्र दावे का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक आवेदन में एक प्रतिवादी, जिसके पास एक

बैंक के खिलाफ स्वतंत्र दावा, केवल जवाबी दावे के माध्यम से बैंक के खिलाफ अपना दावा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। न ही अदालत में स्वतंत्र मुकदमे के माध्यम से उसका दावा हो सकता है

अधिकारिता, उसकी इच्छाओं के विरुद्ध एक न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जाए।

हर्जाने की वसूली, एक स्वतंत्र मुकदमा होने के नाते, न कि बैंक द्वारा दायर आवेदन में किया गया जवाबी दावा, बैंक का उक्त मुकदमे को न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन था

गलत धारणा और रखरखाव योग्य नहीं। उच्च न्यायालय, जहाँ कंपनी द्वारा बैंक के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर किया गया था, बैंक द्वारा कंपनी के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने से बहुत पहले, मुकदमे के संबंध में अधिकार क्षेत्र बना हुआ है और इसका अधिकार क्षेत्र धारा 18 या ऋण वसूली अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत बहिष्कृत या वर्जित नहीं है।

39. प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 17 केवल बैंक या वित्तीय द्वारा दायर आवेदनों के संबंध में सिविल के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है।

ट्यूशन। यह प्रावधान उधारकर्ता द्वारा दायर मुकदमे के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करता था। धारा 31 को छोड़कर मुकदमों और कार्यवाहियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान अधिनियम का भी अभाव था, जो ऋण के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लंबित वाद कार्यवाहियों के लिए है।

40. यह देखा गया कि धारा 17 और आर. डी. बी. अधिनियम का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि डी. आर. टी. की स्थापना के बाद भी कोई बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड नहीं था।

वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

इसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों के खिलाफ उधारकर्ता या अन्य लोगों द्वारा शुरू किए गए स्वतंत्र मुकदमों या कार्यवाही का परीक्षण करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था। जिसे अनुमति दी गई है वह एक एकीकृत कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए लंबित आवेदन में प्रतिवादी द्वारा जवाबी दावे के रूप में केवल एक क्रॉस-एक्शन है। इस संबंध में विचार किया गया सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऊपर निकाले गए पैरा 17 में दिया गया है-कि डी. आर. टी. के समक्ष बैंक के आवेदन में प्रतिदावा ही एकमात्र उपाय नहीं था, बल्कि प्रतिवादी उधारकर्ता के लिए उपलब्ध एक विकल्प था। उधारकर्ता को सिविल कोर्ट या अन्य के समक्ष एक अलग मुकदमा दायर करने या कार्यवाही करने से नहीं रोका गया था।

उपयुक्त मंच। इतना ही नहीं, जिस बैंक के आवेदन में प्रतिदावा किया गया है, उसके पास भी डी. आर. टी. के आवेदन पर विचार करते समय प्रतिवादी के प्रतिदावे को बाहर करने के लिए आवेदन करने का विकल्प है। यदि डी. आर. टी. बैंक के पक्ष में पाता है, तो प्रतिवादी को इस तरह के बहिष्कृत प्रतिदावे के संबंध में दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि डी. आर. टी. के पास बैंक/वित्तीय संस्थान के खिलाफ एक स्वतंत्र दावे का प्रयास करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

41. इस प्रकार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इंडियन बैंक (उपरोक्त) में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कुछ विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए सही कानूनी प्रस्ताव है।

पहले के निर्णयों के साथ-साथ बाद के निर्णय भी। हालाँकि हम देख सकते हैं कि अभिजीत टी कंपनी प्राइवेट के मामले में पहले का फैसला। लिमिटेड (ऊपर), जहां एक प्रतिवादी का एक स्वतंत्र मुकदमा माना जाता था

प्रतिवाद और डी. आर. टी. को हस्तांतरित, पर विचार किया गया और इंडियन बैंक मामले (ऊपर) में अलग किया गया। यद्यपि दोनों इस न्यायालय की समन्वित पीठों के निर्णय थे, इंडियन बैंक के मामले (उपरोक्त) ने राय दी कि हस्तांतरण केवल तभी संभव होगा जब दोनों मुकदमों का विषय अटूट रूप से जुड़ा हुआ हो और जहां दोनों पक्ष इस तरह के हस्तांतरण के लिए सहमत हों।

42. रंजन केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य (उपर्युक्त) मामले में बाद के फैसले में, अदालत ने यहाँ तक कहा कि दोनों पक्षों की सहमति के बिना डी. आर. टी. को दीवानी कार्यवाही का हस्तांतरण किया जा सकता है और एक स्वतंत्र मुकदमे में दावे को रद्द करने या प्रतिवाद के दावे के रूप में माना जा सकता है। यह फ़्लिप-फ़्लप-फ़्लिप निर्भर करता रहा

इस विचार पर कि दो न्यायाधीशों की पीठ नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (उपरोक्त) में बाद की तरह लेना चाहती थी, यह पाया गया कि इंडियन बैंक मामले (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण से अलग होने का कोई कारण नहीं था, जैसा कि रंजन केमिकल्स लिमिटेड में करने की मांग की गई थी। और

एक और मामला (ऊपर), और इस तरह संदर्भ उत्पन्न हुआ।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारा दृष्टिकोणः

43. हमें सीमा पर ही ध्यान देना चाहिए कि संहिता की धारा 9 के तहत दीवानी न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं जब तक कि स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बाहर नहीं किया जाता है। यह भी इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में दोहराया गया था। इस प्रकार, यह उपरोक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में है कि हमें ऊपर दिए गए पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों का विश्लेषण करना होगा। हमारी सोच द्वारका प्रसाद अग्रवाल (डी) में एल. आर. और ए. एन. आर. द्वारा इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ से भी प्रभावित है। वी. रमेश चंदर अग्रवाल और Ors.[1]2 12 जहाँ यह राय दी गई थी कि संहिता की धारा 9 सिविल न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी विवादों को निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है जब तक कि उन्हें क़ानून के तहत या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा वर्जित नहीं किया जाता है और इस तरह के प्रतिबंध का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। द. दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकने की मांग करने वाले प्रावधान के लिए सख्त व्याख्या की आवश्यकता होती है और न्यायालय आम तौर पर निर्माण के पक्ष में झुकता है जो दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बनाए रखेगा।

44. अब, अगर हम योजना और उसके प्रावधानों के साथ पढ़े गए आर. डी. बी. अधिनियम के उद्देश्य की ओर मुड़ते हैं, तो यह बहुत स्पष्ट है कि एक सारांश

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावों के संबंध में उपाय प्रदान किया जाता है ताकि संहिता की विस्तृत प्रक्रिया से उनकी वसूली बाधित न हो। प्रतिवादी को आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (6) और (8) को देखते हुए दावे का बचाव करने और जवाबी दावा दायर करने का अधिकार है। डी. आर. टी. को हस्तांतरित की जाने वाली लंबित कार्यवाही के मामले में, आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 31 ने केवल बैंक के दावे के हस्तांतरण के मुद्दे का ध्यान रखा, भले ही प्रतिदावे के हस्तांतरण के बिना। इस प्रकार, यदि ऋणी एक प्रतिदावा स्थापित करना चाहता है, तो उसे डी. आर. टी. के समक्ष दायर किया जा सकता है और मामले के साथ मुकदमा चलाया जाएगा। हालाँकि, यह एक चेतावनी के अधीन है कि बैंक आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 (11) के तहत सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए उस प्रतिदावे को अलग करने के लिए आगे बढ़ सकता है, हालांकि ऐसा निर्धारण ऋण की वसूली के दावे के निर्धारण के साथ होना है।

45. इस प्रकार हमारा विचार है कि आर. डी. बी. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा बैंक द्वारा दावे में प्रतिवादी द्वारा दीवानी मुकदमे के उपचार को हटा दिया जाता है, लेकिन यह उस प्रतिवादी की पसंद का मामला है। ऐसा प्रतिवादी प्रतिवाद दायर कर सकता है, या इसका लाभ उठाने का इच्छुक हो सकता है

11 1968 एससीआर (3) 660। 12 (2003) 6 एससीसी 220।

बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

46. हम देख सकते हैं कि आर. डी. बी. अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किया गया था, जिसमें 2000 के अधिनियम 1,2000 के अधिनियम 30 के तहत किए गए संशोधन शामिल हैं। 2004 , 2013 का अधिनियम 1 और 2016 का अधिनियम 44। इस विसंगति को, अन्य बातों के साथ-साथ, शुरू में ठीक करने की मांग की गई थी, जो प्रतिदावे और रद्द करने के प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण थी। यह ऐसे परिदृश्य से उबरने के लिए है कि 2000 के अधिनियम 1 के माध्यम से संशोधन स्वयं विधानमंडल द्वारा किया गया था -

समस्या का समाधान करें। विधानमंडल ने, किसी भी स्तर पर, वाद के साथ दायर की जा रही ऐसी कार्यवाही में प्रतिवादी के दावे के संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करने के लिए कोई और संशोधन नहीं किया। विधायिका ने भी अपने विवेक से इस संबंध में डी. आर. टी. की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कोई संशोधन लाना उचित नहीं माना है। 47. हम ट्रांसकोर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह राय दी गई है कि डी. आर. टी. एक न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण की रचना है।

48. अब हम आर. डी. बी. अधिनियम के अध्याय 5 की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, जो डी. आर. टी. द्वारा निर्धारित ऋण की वसूली से संबंधित है। आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 25 ऋणों की वसूली का तरीका निर्धारित करती है, जो धारा की उप-धारा (7) के तहत जारी प्रमाण पत्र के अनुसार होता है। 19 प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट ऋण की राशि को उसमें निर्दिष्ट किसी भी तरीके से वसूल करना। वाद की कार्यवाही में प्रतिवादी द्वारा दावा की जाने वाली राहत का विस्तार निश्चित रूप से दावे की राशि के केवल समायोजन से परे जा सकता है, जिसके लिए डी. आर. टी. के पास नहीं होगा।

कोई भी शक्ति।

49. अब, एक प्रतिवादी द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्ति के मुद्दे की ओर मुड़ते हुए, जिस पर मुकदमा चलाया जाना है

डी. आर. टी. के समक्ष एक वसूली कार्यवाही के साथ। इस बात का फायदा है कि

डी. आर. टी. को सूट हस्तांतरित करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है। एक शिकायत केवल संहिता के आदेश VII नियम 10 के प्रावधानों के तहत उसमें निर्दिष्ट कारणों के लिए वापस की जा सकती है। ऐसे कारणों के अभाव में, संहिता की धारा 151 का उपयोग हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए अवशिष्ट शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है, जो वास्तव में संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत आधारों के संतुष्ट नहीं होने पर शिकायत की वापसी का परिणाम है। किसी भी विधायी शक्ति की अनुपस्थिति दीवानी न्यायालय को निहित करके शक्ति नहीं दे सकती है। हमारा मानना है कि इस तरह के [2022] 17 एस. सी. आर. को पढ़ना उचित नहीं होगा।

डी. आर. टी. एक क़ानून का निर्माण है और वह क़ानून ऐसी संभावना के लिए प्रावधान नहीं करता है। 50. हमें एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि यहां तक कि जहां एक प्रतिवादी को जवाबी दावा दायर करके डी. आर. टी. के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना है, बैंक को उस दावे को सिविल कोर्ट में प्रत्यर्पित करने की मांग करने का अधिकार है और डी. आर. टी. को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है, हालांकि, अंतिम निर्णय के चरण में। यह प्रदान किए गए उपचार की संक्षिप्त प्रकृति को ध्यान में रखते हुए है।

डी. आर. टी. के समक्ष और इस प्रकार, यदि डी. आर. टी. जो करता है उसकी रूपरेखा से परे कुछ पूछताछ की परिकल्पना की जाती है, तो सिविल कोर्ट के उपाय को उचित माना जा सकता है।

51. अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या मुकदमे के हस्तांतरण के लिए सहमति की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि सिविल कोर्ट में स्थानांतरण की कोई शक्ति नहीं है, तो इसकी सहमति या अनुपस्थिति है

ऐसा कुछ नहीं जो दीवानी न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करे। प्रतिवादी, जिसने मुकदमा दायर किया है, के सामने विकल्प स्पष्ट है-या तो वह डी. आर. टी. के समक्ष प्रतिवाद दायर कर सकता है या वह अलग दीवानी कार्यवाही शुरू कर सकता है। 52. हालाँकि डी. आर. टी. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की प्रकृति और इसके निर्माण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सावधानी का एक शब्द है। अभिजीत टी कंपनी और रंजन केमिकल्स (उपरोक्त) की व्याख्या, जिसमें सिविल कोर्ट को हस्तांतरण की शक्ति देने की मांग की गई थी, चाहे सहमति से हो या अन्यथा, स्पष्ट रूप से इस आशंका पर आधारित थी कि एक प्रतिवादी डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाही में देरी करने के लिए सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमा शुरू कर सकता है।

53. हम निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि आर. डी. बी. अधिनियम के तहत परिकल्पित प्रक्रिया को एक अलग मुकदमा दायर करके किसी भी तरह से बाधित किया जाए। प्रतिवादी ऐसा करने का विकल्प चुनता है। डी. आर. टी. के समक्ष एक दावा याचिका को एक विशेष तरीके से आगे बढ़ना होता है और इसलिए आगे बढ़ना होता है। दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई दीवानी कार्यवाही के माध्यम से उन कार्यवाहियों पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। मुकदमा अपना काम करेगा जबकि डी. आर. टी. के समक्ष एक याचिका अपना काम करेगी। हम इस बात की सराहना करते हैं कि यह समानांतर कार्यवाही की प्रकृति में हो सकता है लेकिन फिर यह प्रतिवादी का अपना विकल्प है। जब तक आर. डी. बी. अधिनियम के तहत डी. आर. टी. के समक्ष दावे का शीघ्र निपटान करने का उद्देश्य दीवानी मुकदमा दायर करने से बाधित नहीं होता है, तब तक हम इसमें कोई समस्या नहीं देखते हैं। इस प्रकार, यह एक प्रतिवादी के लिए खुला नहीं है, जिसने सिविल बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का सहारा लिया होगा।

वी. वी. सी. के. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड। [संजय किशन कौल, जे।]

अदालत, दीवानी अदालत के समक्ष अपने मुकदमे के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे डी. आर. टी. के फैसले पर रोक लगाने के लिए क्योंकि यह उसकी पसंद का मामला है।

54. इस प्रकार हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्र मुकदमा दायर करने वाले प्रतिवादी द्वारा प्रयोग किए गए ऐसे विकल्प के मामले में, राहत की प्रकृति चाहे जो भी हो, आर. डी. बी. अधिनियम के तहत दावा याचिका इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसमें स्थापित प्रक्रिया के संदर्भ में तेजी से आगे बढ़ती रहेगी कि क्या कोई ऋण किसी बैंक और/या वित्तीय संस्थान को देय है और क्या उस ओर से वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

55. हम कह सकते हैं कि यदि विधानमंडल को अन्यथा सोचना था, तो न तो कुछ भी विधानमंडल को रोकता था और न ही अब इसे बनाने से रोकता है।

ऐसे परिदृश्य से निपटने के लिए आर. डी. बी. अधिनियम में उपयुक्त संशोधन।

56. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, ऊपर दिए गए प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया जाना चाहिएः

(ग) क्या किसी ऋणकर्ता द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई करने के लिए एक दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है जिसे निम्न के आधार पर निष्कासित किया गया है -

वसूली की कार्यवाही के संबंध में आर. डी. बी. अधिनियम की योजना

किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण का?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पहले दिया जाना चाहिए और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

नकारात्मक में।

(क) क्या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दायर एक स्वतंत्र मुकदमा, जिसने वसूली के लिए आवेदन किया है

आर. डी. बी. अधिनियम के तहत वादी के खिलाफ उसके ऋण को आर. डी. बी. के तहत आवेदन के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।

डी. आर. टी. द्वारा कार्रवाई?

दीवानी अदालत में मौजूद ऐसी किसी भी शक्ति के अभाव में, बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दायर एक स्वतंत्र मुकदमे को आर. डी. बी. अधिनियम के तहत आवेदन के साथ मुकदमा चलाने के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आर. डी. बी. अधिनियम के तहत दावे में प्रतिवादी के विकल्प का मामला है। लेकिन आर. डी. बी. अधिनियम के तहत कार्यवाही किसी भी तरह से बाधित नहीं होगी।

दीवानी न्यायालय के समक्ष अलग मुकदमा।

(ख) यदि उत्तर सकारात्मक है, तो क्या इस तरह के हस्तांतरण का आदेश केवल वादी की सहमति से अदालत द्वारा दिया जा सकता है?

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चूँकि दीवानी न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए मुकदमे के हस्तांतरण का कोई सवाल ही नहीं है, चाहे वह सहमति से हो या अन्यथा।

57. उपरोक्त संदर्भ का ध्यान रखता है।

58. अब मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य पर आते हैं। तथ्य यह है कि किसी भी मामले में आर. डी. बी. अधिनियम के तहत कार्यवाही एक स्तर तक पहुंच गई है।

दावे की संतुष्टि के साथ पराकाष्ठा और इस प्रकार, कोई कार्यवाही नहीं

अपीलार्थी द्वारा स्थापित डी. आर. टी. के समक्ष लंबित हैं। जहाँ तक वाद का संबंध है, प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित वाद के विचारण के अलावा प्रतिदावे या स्थानांतरण या किसी अन्य तरीके का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में, कुछ भाग

बैंक के दावे की अनुमति भी नहीं थी और कुछ समायोजन

बनाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद भी जहां तक प्रत्यर्थी के किसी भी अन्य दावे का संबंध है, डी. आर. टी. दिनांकित आदेश के संदर्भ में 19.05.2003 प्रत्यर्थी को कानून के अनुसार उपचार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी-जिसका अर्थ केवल दीवानी कार्यवाही हो सकती है। इस प्रकार, मुकदमा तदनुसार आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी है।

निष्कर्षः

59. तदनुसार दीवानी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। 60. अभिजीत टी कंपनी (ऊपर) और रंजन केमिकल्स लिमिटेड (ऊपर) के फैसलों को सही कानूनी प्रस्ताव नहीं माना जाता है। इंडियन बैंक (ऊपर) और नाहर में निर्णय

औद्योगिक उद्यमों (ऊपर दिए गए) की पुष्टि की जाती है, सिवाय इसके कि वे दीवानी न्यायालय से डी. आर. टी. को मुकदमे के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर

(सहायकः प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)